"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2017—— अग्रहायण 21, शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2017

क्रमांक -01/03/निर्वा. नामा./पुनरीक्षण-18/2017-18/2174.—— छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01-01-2018 के संदर्भ में आयोजित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 23/Spl.Drive/NOT/ECI/FUNC/ERD-ER/2017 (Vol. III), दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के अनुसरण में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2017 —— 9 अग्रहायण, 1939 (शक)

अधिसूचना

संख्या- 23/वि. अ. /नोट/ईसीआई/प्रकार्या/ईआरडी-ईआर/2017 (खंड-III).—— यत:, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर 2017 (खंड-II) दिनांक 23 अगस्त, 2017 के जरिए 01-01-2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची की घोषणा कर दी थी; और

यत:, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 23 अक्टूबर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक नियत की गई थी; और

यत:, प्रारूप नामावलियां यथा-निर्धारित 23 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी; और

यत:, निर्वाचन आयोग ने राज्य में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि के दौरान चल रहे विशेष अभियान की समीक्षा की है; और

यत:, निर्वाचन आयोग ने ऐसी समीक्षा करने और साथ ही विभिन्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त अनुरोध पर निर्णय लिया है कि राज्य में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि दावे और आपत्तियां दाखिल करने की उक्त अवधि के दौरान विशेष अभियान की अवधि को भी आगे बढ़ा दिया जाए जिससे बूथ लेवल अधिकारी अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे घर-घर जाकर सत्यापन के कार्य को पूरा कर सकेंगे;

अब, इसलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग द्वारा 01-01-2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे वर्तमान विशेष सार पुनरीक्षण के लिए राज्य में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 15 दिसम्बर, 2017 को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा यह तारीख आगे बढ़ाई जाती है.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटालिया)
प्रधान सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.